उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 | अंक 4 | 16-28 फरवरी 2021 | ₹ 20/-

पॉपुलर फ्रंट पर दंगे भड़काने की साजिश का आरोप

- कर्नाटक में गोवध निरोधक कानून
- अरब शहजादी की हिरासत पर संयुक्त राष्ट्र संघ चिंतित
- फ्रांस में इस्लामिक संस्थानों पर प्रतिबंध
- महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमामों को वेतन

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष: 011-26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक-प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी-51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए-102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020 मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

पॉपुलर फ्रंट पर दंगे भड़काने की साजिश का आरोप 04
कर्नाटक में गोवध निरोधक कानून 08
रामपुर दरगाह प्रमुख की गिरफ्तारी से भड़का जनाक्रोश 10
अल्पव्यस्क मुस्लिम लड़की की शादी मान्य 11
अल्पसंख्यकों के लिए हुनर हाट का आयोजन 13

विश्व

इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादियों की गिरफ्तारियां 14
अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा नए हमले की तैयारी 15
फ्रांस में इस्लामिक संस्थानों पर प्रतिबंध 16
नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से इनकार 17
अमेरिकी ब्लॉगर की हत्या के आरोप में पांच लोगों को फांसी 18

पश्चिम एशिया

अरब शहजादी की हिरासत पर संयुक्त राष्ट्र संघ चिंतित 19
सऊदी सेना में महिलाओं को भर्ती होने की अनुमति 22
कुवैत में विदेशी यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी 22
ईरान में अलकायदा के नेताओं को पनाह 23
परमाणु शक्ति बनने की ओर अग्रसर ईरान 25

अन्य

सऊदी सरकार विरोधी इस्लामिक विद्वानों की गिरफ्तारियां 26
महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमामों को वेतन 27
मस्जिद के पदाधिकारियों पर गबन का मुकदमा 27
ख्वाजा अजमेरी का उर्स समाप्त 28
वसीम रिजवी पर शिकंजा 28

सारांश

कुख्यात इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर सरकारी एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फ्रंट के पदाधिकारियों के खिलाफ हाथरस कांड की आड़ में साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के आरोप में न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। हाल ही में लखनऊ में उसके अनेक कार्यकर्ताओं को विस्फोटक पदार्थों और अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक ने यह आरोप लगाया था कि यह संगठन हिंदू संस्थानों के अनेक नेताओं की हत्या करने की योजना बना रहा था। फ्रंट के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस न उनसे जो पूछताछ की है उससे इस बात की पुष्टि हुई है कि इस जिहादी संगठन के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं और उन्हें देश भर में दंगे भड़काने के लिए एक सौ करोड़ की धनराशि विदेशी सूत्रों से प्राप्त हुइं थीं। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हाल ही मं प्रवर्तन निदेशालय और उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ शाखा ने फ्रंट के कई कार्यालयों पर छापे मारकर आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है।

इन दिनों पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय का एक अजीबोगरीब फैसला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। उच्च न्यायालय ने मुस्लिम शरिया कानून को मान्यता देते हुए यह फैसला दिया है कि यदि कोई मुस्लिम लड़की रजस्वला होने के बाद अपनी मर्जी से निकाह करती है तो उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार परिवारजनों को नहीं है। इस फैसले का स्वागत मुस्लिम समाचारपत्रों ने किया है। उनका तर्क है कि इस फैसले से मुस्लिम पर्सनल लॉ के अधिकारों की पुष्टि न्यायालय द्वारा की गई है। ज्ञातव्य है कि देश के कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी पर कान्नन प्रतिबंध है। जबकि इस्लामिक कानून के अनुसार 14-15 वर्ष की लड़की यदि रजस्वला है तो उसे निकाह करने का अधिकार है। कुछ मानवाधिकार संगठन हरियाणा-पंजाब उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।

इन दिनों दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मकतूम की पुत्री शहजादी लतीफा समाचारपत्रों में चर्चा का केन्द्र बनी हुई हं। 35 वर्षीय इस शहजादी ने यह आरोप लगाया है कि जब वह अपने देश से भागकर अमेरिका में राजनीतिक शरण प्राप्त करने के लिए जा रही थी तो उसके पिता ने कमांडो की सहायता से जबरन उसका अपहरण कर लिया और उसे अवैध रूप से अपने महल में कैद कर रखा है। उसने यह भी दावा किया है कि उसका जीवन खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेकर इस आरोप की जांच शुरू कर दी है। मगर दुबई के प्रशासन का कहना है कि शहजादी अपने परिवार के बीच सुरक्षित है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ उनके इस दावे को स्वीकार नहीं कर रहा है। ज्ञातव्य है कि दुबई के शासक दो वर्ष पहले भी चर्चा में तब आए थे जब उनकी एक पत्नी ने अपने दो बच्चों सहित ब्रिटिश सरकार से शरण मांगी थी और शासक शेख पर गंभीर आरोप लगाए थे।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से पाकिस्तान सरकार ने इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की अनेक अदालतों में भ्रष्टाचार के मुकदमें चल रहे हैं। गत वर्ष वे अपना इलाज करवाने के बहाने लंदन चले गए थे और अभी तक वहीं डटे हुए हैं। पाकिस्तान सरकार उन्हें वापस लाने में अभी तक विफल रही है। इससे पूर्व भी पाकिस्तान के एक पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ को भी अपनी जान बचाने के लिए सऊदी अरब में शरण लेनी पड़ी थी। वे भी अभी तक वहीं पर डेरा डाले हुए हैं।

पॉपुलर फ्रंट पर दंगे भड़काने की साजिश का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसकी छात्र इकाई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के खिलाफ धन शोधन के मामले में पहला आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया है, जिसमें उसने यह दावा किया है कि इस संगठन क सदस्य पिछले वर्ष हाथरस में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद देश में साम्प्रदायिक दंगे भड़काना एवं आतंक फैलाना चाहते थे।

गत कुछ महीनों से यह अतिवादी मुस्लिम संगठन फिर से चर्चा में है। खास बात यह है कि उर्दू प्रेस और विशेष रूप से मुस्लिम प्रेस पॉपुलर फ्रंट को बचाने का अभियान चला रहा है। यही कारण है कि अधिकांश उर्दू अखबार इसक संदर्भ में पुलिस और सरकार के दावे को प्रमुखता से प्रकाशित नहीं कर रहे हैं बल्कि इस संगठन की ओर से अपने बचाव में जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है उन्हें विशेष रूप से प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने गत दिनों फ्रंट के विभिन्न कार्यालयों पर छापे मारकर काफी आपत्तिजनक सामग्री बरामद की थी। मगर उर्दू के अधिकांश अखबारों ने इस समाचार को प्रकाशित करने की बजाय फ्रंट द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसमें यह दावा किया गया कि राजनीतिक द्वेष के कारण सरकारी एजेंसियां उन्हें अपना निशाना बना रही हैं।

इंकलाब (13 फरवरी) के अनुसार पॉपुलर फ्रंट के सचिव अनीस अहमद ने प्रवर्तन निदेशालय को निशाना बनाते हुए कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय आरएसएस की प्रचार एजेंसी की तरह काम कर रही है। हाल ही में लखनऊ के विशेष न्यायालय में धन शोधन के बारे में एक केस दर्ज किया गया है। मगर उसके संबंध में जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उससे यह साफ होता है कि हमारे संगठन के बारे में मीडिया और समाज को गुमराह करने के लिए जानबूझकर ये प्रयास हो रहे हैं। हम जानते हैं कि यह जांच किसके इशारे पर हो रही है और उसका क्या लक्ष्य है।

इंकलाब (22 फरवरी) ने पॉपुलर फ्रंट के कार्यालय पर उत्तर प्रदेश एसटीएफ के छापे का

उल्लेख किया है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पीएफआई की छात्र शाखा सीएफआई के महासचिव रउफ शरीफ से हुई पूछताछ के बाद दिल्ली के शाहीन बाग में स्थित फ्रंट के कार्यालय पर छापा मारा। यहां से पुलिस ने भारी संख्या में पर्चे, पेन ड्राइव और कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद करने का दावा किया है। फ्रंट पर नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शनों और हाथरस में जाति के नाम पर दंगे भड़काने के आरोप में धन वितरण का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में मथुरा जिला के मांट क्षेत्र में दर्ज मुकदमें में पूछताछ के लिए रउफ शरीफ को एसटीएफ ने रिमांड पर लिया था और न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद यह छापा मारा गया। फ्रंट के सूत्रों के अनुसार इस सिलसिले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मगर कार्यालयों को सील करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी ओर फ्रंट ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यह दावा किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई का कारण यह है कि हाल ही में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केरल गए थे तो फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने वहां उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया था। इससे चिढ़कर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कार्रवाई की है।

इंकलाब (23 फरवरी) ने पॉपुलर फ्रंट को प्रेस विज्ञप्ति को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि शाहीन बाग कार्यालय पर छापा मार कार्रवाई को पीएफआई ने बदले की कार्रवाई बताया है और कहा है कि योगी सरकार की ओर से पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है यह उसी का एक हिस्सा है। फ्रंट के महासचिव अनीस अहमद ने इस छापे की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि दा महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय ने हमारे कार्यालय पर छापा मारा था और उन्हें कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा था। साफ है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ की हाल की छापा मार कार्रवाई केवल हमें परेशान करने के लिए की गई है। योगी सरकार के इशारे पर कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई जा रही है। छापे से पूर्व न तो हमें सर्च वारंट दिखाया गया और न ही जब्त की गई चीजों की कोई सूची ही हमें सौंपी गई है। कुछ झंडे, प्रकाशन और पर्चे जब्त किए गए हैं। हमें यकीन है कि एसटीएफ इसे उत्तेजक दस्तावेजों के रूप में पेश करेगी। गत कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्जी आरोपों की आड़ में फ्रंट के सदस्यों की गैरकानूनी गिरफ्तारियों और संगठन को फर्जी आतंकवादी साजिश से जोड़कर हमारे खिलाफ नापाक बदले की कार्रवाई छेड़ रखी है। ये सब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ किए गए प्रदर्शनों के बाद शुरू हुआ है। क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ने इन प्रदर्शनों के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बेगुनाह लोगों के कत्ल करने और उन्हें उत्पीड़ित करने के सिलसिले में लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया था। इसके बाद फ्रंट ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ पुलिस उत्पीड़न के बारे में न्यायालयी जांच की मांग के लिए उच्च न्यायालय में पुलिस के खिलाफ एक जनहित याचिका भी दायर की थी। इससे चिढ़कर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे राज्य के पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके परिवारजनों को भी परेशान किया। हाथरस में दलित महिला की हत्या के बाद एक पत्रकार और कुछ छात्रों को गिरफ्तार करके उनको राज्य में दंगे भड़काने की साजिश से जोड़ दिया। जब हमारे दो सदस्य अंशाद बदरूद्दीन और फिरोज खान ट्रेन से घर जा रहे थे तो पुलिस

ने उनका अपहरण कर लिया। 21 फरवरी को केरल में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। इससे चिढ़कर हमारे दो कार्यालयों पर छापे मारे गए। मगर पॉपुलर फ्रंट इससे डरने वाला नहीं है। हम लोकतांत्रिक और कानूनी ढंग से इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे।

इंकलाब (15 फरवरी) के अनुसार हाथरस में लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने जाति-बिरादरी के नाम पर दंगा भड़काने के आरोप में मथुरा में एक पत्रकार सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पॉपुलर फ्रंट का नाम सामने आया था। इसके बाद फ्रंट की आय के स्रोतों की जांच का काम प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा गया था। इसने गत नवम्बर में तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर फ्रंट के महामंत्री रउफ शरीफ को गिरफ्तार किया था। यूएपीए कानून के तहत रउफ को उत्तर प्रदेश पुलिस अपने रिमांड पर लेने की तैयारी ही कर रही थी कि न्यायालय ने उसे जमानत दे दी। एसटीएफ की टीम ने रउफ शरीफ को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह दावा किया था कि मथुरा में जब एक कार में सवार चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से पॉपुलर फ्रंट से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए थे। इन चारों से पूछताछ के बाद पुलिस ने यह दावा किया था कि हाथरस में दंगों को भड़काने के लिए पीएफआई के रउफ शरीफ ने आरोपियों को धनराशि दी थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने यह दावा किया है कि गत एक वर्ष में फ्रंट के बैंक खातों में दूसरे देशों से भारी रकम आई है, जिनमें सबसे ज्यादा रकम रउफ शरीफ के खाते में आई है। पुलिस ने यह दावा किया था कि जब उसने रउफ शरीफ को तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था तो वह विदेश फरार होने की फिराक में था। शरीफ को उत्तर प्रदश लाने के लिए एसटीएफ की टीम ने न्यायालय से रिमांड की याचिका दायर की थी। मगर इससे पूर्व ही न्यायालय ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने यह दावा किया है कि गत कुछ वर्षों में पॉपुलर फ्रंट के खातों में एक अरब रुपया जमा किया गया ह।

इंकलाब (16 फरवरी) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को पांच दिनों के लिए सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया है। उसे तीन अन्य व्यक्तियों अतीक-उर-रहमान (मुजफ्फरनगर), मसूद अहमद (बहराईच) और आलम (रामपुर) के साथ हाथरस के दंगों की रिपार्टिंग करने के लिए जाते समय उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ज्ञातव्य है कि कप्पन के वकील ने यह दावा किया था कि उसकी 90 वर्षीय मां गंभीर रूप से बीमार है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि केरल जाने पर कप्पन मीडिया से बातचीत और सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डाल सकता। इसके अतिरिक्त वह अपने रिश्तेदारों, डॉक्टरों और अपनी मां की स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोगों को छाड़कर किसी से भेंट नहीं कर सकता।

ज्ञातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गत महीने कप्पन को एक वीडियो कॉल द्वारा अपनी बीमार मां से बात करने की अनुमति दी थी। मगर अस्पताल में बेहोश होने के कारण वह अपनी मां से बात नहीं कर पाया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि कप्पन के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम भी जाएगी और केरल पुलिस उसके साथ सहयोग भी करेगी। समाचारपत्र ने यह दावा

किया है कि उसे पुलिस ने झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ समाचार जगत में काफी विरोध हुआ था और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई थी।

दैनिक हिंदुस्तान (12 फरवरी) में प्रकाशित समाचार के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय में हाथरस दंगों के सिलसिले में जो आरोप पत्र दाखिल किया है उसके अनुसार यह केन्द्रीय जांच एजेंसी 2018 से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जांच कर रही है। पॉपुलर फ्रंट का गठन 2006 में केरल में किया गया था और अब इसका मुख्यालय दिल्ली में है। निदेशालय ने हाल ही में इस संगठन द्वारा नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के कथित वित्त पोषण और पिछले वर्ष दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगों में इसकी भूमिका को लेकर जांच शुरू की हुई है। अभियोजक पक्ष द्वारा आरोप पत्र लखनऊ की पीएमएलए न्यायालय में दायर किया गया था। आरोप पत्र में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनमें पीएफआई के सदस्य रउफ शरीफ, सीएफआई के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतीकुर्रहमान, दिल्ली सीएफआई के महासचिव मसूद अहमद, पत्रकार एवं पीएफआई से जुड़ सिद्दीक कप्पन और सीएफआई के सदस्य मोहम्मद आलम शामिल हैं। विशेष न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए पांच आरोपियों को समन जारी करके 18 मार्च को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया है।

दैनिक हिंदुस्तान (23 फरवरी) ने एक समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि पॉपुलर फ्रंट के महासचिव रउफ शरीफ से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के बाद पुलिस देश भर के पॉपुलर फ्रंट के कार्यालयों पर छापे मार रही है। रउफ ने यह स्वीकार किया है कि वह देश भर में युवकों को पॉपुलर फ्रंट से जोड़ रहा था। इन छापों के दौरान इन कार्यालयों से देशद्रोही सामग्री भारी मात्रा में मिली है। एक अन्य समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश के बस्ती में छापा मारकर आतंकवादी फंडिंग के आरापी और अवैध सॉफ्टवेयर के जरिए विदेशों से धन प्राप्त करने के आरोप में हामिद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि इस व्यक्ति से पूछताछ से उसके नेटवर्क और देश भर में फैले हुए पॉपुलर फ्रंट के मकड़जाल का पर्दाफाश होगा। हामिद को इससे पूर्व 2016 में भी सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है।

दैनिक हिंदुस्तान (18 फरवरी) के अनुसार विदेश से फंडिग के आरोपी और पीएफआई के सदस्य रउफ शरीफ से स्पेशल टास्क फोर्स पांच दिनों तक पूछताछ करेगी। जिला न्यायालय ने उनका रिमांड मंजूर कर लिया है। एसटीएफ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में दस दिन का रिमांड मांगा गया था। एक अन्य समाचार के अनुसार पॉपुलर फ्रंट के दो सदस्यों अंशाद बदरूद्दीन और फिरोज खान को विशेष जज मोहम्मद गजाली ने सात दिनों के लिए पुलिस रिमांड में दे दिया है। एटीएस का आरोप है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ सदस्यों ने एक आतंकवादो गिरोह बनाकर देश की एकता, अखंडता और सम्प्रभुता को चुनौती देने के लिए घातक हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ एकत्र किए थे।

इंडियन एक्सप्रेस (17 फरवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने यह दावा किया है कि पुलिस ने लखनऊ में कुकरैल के नजदीक

पॉपुलर फ्रंट के दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। वे हिंदू संगठनों के वरिष्ठ नेताओं की बम विस्फोट द्वारा हत्या करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि ये दोनों व्यक्ति केरल के हैं और उनके कब्जे से पुलिस ने काफी विस्फोटक पदार्थ बरामद किए हैं। कुमार ने यह भी बताया कि इनकी योजना उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में युवकों को हिंसक गतिविधियों के लिए भर्ती करने की थी। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि यह गिरोह वसंत पंचमी के दिन राज्य में अनेक स्थानों पर विस्फोट करने की योजना बना रहा है। पुलिस ने इनके कब्जे से विस्फोटक पदार्थ, बैटरी, डटोनेटर, पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि इन दोनों युवकों को बम बनाने में महारत हासिल है।

दैनिक जागरण (19 फरवरी) के अनुसार उज्जैन पुलिस ने कट्टरवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया से जुड़े लोगों के खिलाफ 14वां स्थापना दिवस मनाने के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की है। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर आयोजकों पर धारा 188 (प्रतिबंधात्मक आदश का उल्लंघन) में दो केस दर्ज किए गए हैं। एसएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि पीएफआइ ने 17 फरवरी की रात नागौरी मोहल्ले में सभा की थी। सभा की अनुमति रात 10 बजे तक थी और आयोजन में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। मगर आयोजकों ने रात 10.40 बजे तक सभा की और ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया। इसके अलावा सभा में 100 से अधिक लोग शामिल हुए थे। महाकाल थाना पुलिस ने आयोजक अदनान नागौरी के खिलाफ केस दर्ज किया है।

दूसरा मामला कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है। पीएफआइ ने बुधवार सुबह 8.30 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र के लाल मस्जिद चौराहे पर संगठन का झंडा फहराया था। इसकी भी अनुमति नहीं ली गई थी। पीएफआइ की सभा में बतौर अतिथि शामिल हुए अखिल भारतीय इमाम काउंसिल के महासचिव मुफ्ती हनीफ अहरार ने कहा था कि एक क्या चार संघ भी आ जाएं तो वे मुकाबले के लिए तैयार हैं। अहरार ने कहा कि भाजपा की सरकारें लोगों को लड़ाने का काम कर रही हैं। राम मंदिर के लिए चंदा लेने के नाम पर मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। उनके घरों पर हमले हो रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, यह सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभा को संगठन के प्रदेश प्रमुख कफील रजा ने भी संबोधित किया था।

रामपुर दरगाह प्रमुख की गिरफ्तारी से भड़का जनाक्रोश

उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित दरगाह हाफिज शाह के सज्जादानशीं फरहत अहमद जमाली की गिरफ्तारी के कारण बरेलवी मुसलमानों में दिन-प्रतिदिन रोष बढ़ रहा है। अनेक मुस्लिम संगठनों ने यह धमकी दी है कि अगर जमाली को रिहा नहीं किया गया तो वे राज्य भर में आंदोलन शुरू करेंगे। बरेली की दरगाह के प्रमुख तौकीर रजा के इस विवाद में कूद पड़ने के कारण मामला दिन-प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है।

इंकलाब (7 फरवरी) के अनुसार रामपुर के जिलाधिकारी और मुसलमानों के धार्मिक नेताओं के बीच काफी दिनों से तनावपूर्ण संबंध

चले आ रहे हैं। मौलाना जमाली के अनुसार 21 दिसंबर, 2019 को नगर के मुसलमानों ने नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। मगर प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें चौराहा हाथी खाना पर पुलिस की बैरिकेटिंग को लेकर हिंसा हुई, जिसमें पुलिस की गोली से फैज नामक एक व्यक्ति मारा गया था। जमाली का आरोप है कि चौदह महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने न तो फैज के हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है और न ही जिन लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किए गए थे वे ही वापस लिए गए हैं।

इंकलाब (8 फरवरी) के अनुसार रामपुर की जामा मस्जिद में एक बैठक नगर अवाम मुफ्ती महबूब अली की अध्यक्षता में हुई, जिसमें फरहत अहमद जमाली, जमीयत उलेमा के सचिव मौलाना असलम जावेद कासमी, मौलाना अंसार अहमद कासमी, शिया इमाम मौलाना जमान बाकरी आदि ने भाग लिया, जिसमें पुलिस कप्तान के रवैए की निंदा की गई। दूसरी ओर जिला पुलिस कप्तान ने इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने कभी किसी मुस्लिम धार्मिक नेता से कोई दुर्व्यवहार किया।

इंकलाब (14 फरवरी) के अनुसार रामपुर पुलिस ने 2019 में नागरिकता कानून के खिलाफ होने वाले उग्र प्रदर्शनों के सिलसिले में जो मुकदमें दर्ज किए थे, उनके संबंध में गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस की भारी फोर्स ने दरगाह हजरत हाफिज शाह जमाल को घेर लिया और सज्जादानशीं फरहत अहमद जमाली सहित अनेक मुस्लिम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया है कि इन कानूनों के खिलाफ जो उग्र प्रदर्शन हुए थे उनके मास्टर माइंड मौलाना जमाली ही थे।

ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व ऑल इंडिया इत्तेहादुल मिल्लत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने एक पत्रकार सम्मेलन में प्रशासन को यह धमकी दी थी कि अगर किसी भी मुस्लिम नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। अतिरिक्त पुलिस कप्तान डॉ. संसार सिंह का कहना है कि नागरिकता कानून के विरूद्ध हुए प्रदर्शनों का एक आरोपी फरहद अहमद फरार चल रहा था। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि आज वह शाह जमाल की दरगाह में आने वाला है, इसलिए छापा मारकर वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। समाचारपत्र ने कहा है कि फरहत अहमद जमाली की गिरफ्तारी के बाद अनेक वांछित मुस्लिम नेता फरार हो गए हैं जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है।

इंकलाब (15 फरवरी) के अनुसार बरेलवी सम्प्रदाय के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने यह धमकी दी है कि अगर शाह फरहत जमाली को रिहा नहीं किया गया तो सारे प्रदेश में मुसलमान सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू कर देंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि जमाली ने क्योंकि गत दिनों किसान आंदोलन का समर्थन करने की घोषणा की थी। इससे चिढ़कर प्रशासन ने उन्हें 14 महीने पुराने केस में गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस जानबूझकर राज्य में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है।

एक अन्य समाचार के अनुसार मुस्लिम फेडरेशन के अध्यक्ष आजम इकबाल ने कहा है कि प्रशासन जानबूझकर दरगाहों को अपना निशाना बना रहा है। इसे मुसलमान किसी कीमत पर

बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।

इंकलाब (17 फरवरी) के अनुसार वकीलों ने शाह फरहत अहमद जमाली की जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दायर की थी। मगर इस पर अभी न्यायालय ने कोई फैसला नहीं किया है।

कर्नाटक में गोवध निरोधक कानून

मुंबई उर्दू न्यूज (17 फरवरी) के अनुसार कर्नाटक के इतिहास में गोवध पर बना अब तक का सबसे सख्त कानून लागू कर दिया गया है। राज्य के राज्यपाल वजुभाई वाला के हस्ताक्षर के बाद राज्य सरकार ने इस संदर्भ में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस कानून के अनुसार गाय, बैल, सांड, बछड़ा और तेरह वर्ष से कम उम्र की भैंस एवं भैंसे के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिर्फ 13 वर्ष से अधिक आयु के भैंस और भैंसे का ही वध करने की अनुमति होगी। बीफ के अंतर्गत इन पशुओं के सभी प्रकार के गोश्त को शामिल किया गया है। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को बिना जमानत गिरफ्तार किया जा सकेगा और उन्हें कम-से-कम तीन वर्ष की सजा होगी। जबकि इस कानून में अधिकतम कैद की व्यवस्था सात वर्ष निर्धारित की गई है। कानून का पहली बार उल्लंघन करने पर आरोपी को 50 हजार से 5 लाख रुपये तक जुर्माना अदा करना पड़ेगा और अगर कोई आरोपी दूसरी बार यह जुर्म करता है तो उसे एक लाख से दस लाख तक जुर्माना अदा करना पड़ेगा। पुलिस के सब इंस्पेक्टरों को न केवल दुकानों बल्कि घरों में भी छापा मारने का अधिकार दिया गया है। जो व्यक्ति गोवंश के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं उन्हें भी इस कानून के तहत सरकार ने पूर्ण संरक्षण देने की घोषणा की है।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार ने पहली बार 2020 में राज्य विधानसभा से यह कानून पारित करवाया था, मगर विधान परिषद से यह कानून पारित नहीं हो सका था। इसके बावजूद सरकार ने इस संदर्भ में एक अध्यादेश जारी करके इसे लागू कर दिया था। राज्य सरकार ने 9 फरवरी, 2021 को विधान परिषद में पुनः इस विधेयक को पेश किया था, जिसका विरोध कांग्रेस और जनता दल (एस) ने किया था। मगर ध्वनि मत से इसी दिन यह विधेयक परिषद से पारित हो गया। ज्ञातव्य है कि अभी तक कर्नाटक में 1964 का गोवध निरोधक कानून ही लागू था जिसके तहत सिर्फ दुधारू गाय के वध पर प्रतिबंध था। जबकि बैल व भैंस का वध करने की अनुमति थी। मगर नए कानून में सजा और जुर्माने की धनराशि में भारो वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त पशुओं के आवागमन पर भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं

अल्पव्यस्क मुस्लिम लड़की की शादी मान्य

सियासत (11 फरवरी) के अनुसार पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने मुस्लिम लड़कियों के निकाह के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम लड़की 18 वर्ष से कम उम्र होने के बावजूद भी अपने पसंद के किसी लड़के से शादी कर सकती है। परंतु उसे रजस्वला होना चाहिए। इस तरह से न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन किया है, जिसके तहत कोई भी मुस्लिम लड़की भले ही उसकी उम्र 14 या 15 वर्ष हो अगर वह रजस्वला हो चुकी है तो उसे अपनी पसंद की शादी करने का अधिकार प्राप्त है और उसके परिवारजन उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि मुसिलम पर्सनल लॉ के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की मुस्लिम लड़की भी अपनी मर्जी से किसी लड़के से निकाह कर सकती है और उसके परिवारजन उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह निर्णय जस्टिस अल्का सरीन ने मुस्लिम शरिया के आधार पर सुनाया है। मोहाली के रहने वाले एक मुस्लिम जोड़े ने न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसके अनुसार एक 36 वर्षीय व्यक्ति को 17 वर्षीय लड़की से प्यार हो गया था और दोनों ने मुस्लिम रस्मो-रिवाज के तहत निकाह कर लिया था। उनके विवाह से परिवार वाले खुश नहीं थे। इन दोनों के रिश्तेदार निरंतर धमकी दे रहे थे। इन धमकियों के कारण इन्होंने न्यायालय की शरण ली थी और सरकार से सुरक्षा की मांग की थी। जब न्यायालय में इस केस की सुनवाई हुई तो लड़की के परिवारजनों की यह दलील थी कि लड़की नाबालिग है इसलिए यह निकाह जायज नहीं है।

अवधनामा (11 फरवरी) ने अपने संपादकीय में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। संपादकीय में कहा गया है कि हिंदुस्तान के संविधान में एक बालिग लड़का और बालिग लड़की को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार बहुत पहले दे दिया गया है। बाद में शादी के लिए आयु 18 वर्ष तय कर दी गई। इस कानून के तहत कोई भी भारतीय लड़की जो 18 वर्ष की हो चुकी हो अपनो मर्जी से अपने पसंद के लड़के से शादी करने का कानूनी अधिकार रखती है चाहे उनका संबंध किसी भी धर्म व जाति से हो। मगर हमारे यहां कुछ राज्यों ने लव जिहाद कानून बना दिया, जिसके तहत अन्य धर्म में विवाह करना गैर-कानूनी करार दे दिया गया है। लेकिन जमीनी धरातल पर ऐसे समाचार मिल रहे हैं, जिनमें अगर लड़का मुसलमान है और लड़की गैर मुसलमान है तो मुसलमान लड़के को जेल भेज दिया जाएगा और अगर लड़की मुसलमान है और लड़का गैर मुसलमान है तो उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जाती। यही कारण है कि समाज में यह संदेश जा रहा है कि लव जिहाद का कानून सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए बनाया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो

लव जिहाद का कानून भारतीय संविधान के खिलाफ है। एक ओर तो ऐसा कानून बनाया गया वहीं दूसरी ओर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने इससे दो कदम आगे बढ़ते हुए अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र की मुस्लिम लड़की अपने पसंद के किसी भी लड़के से शादी कर सकती है। मगर शर्त सिर्फ यह है कि वह रजस्वला हो चुकी हो। इस तरह से 14-15 वर्ष की मुस्लिम लड़कियों के लिए भी शदी करने की खुली अनुमति मिल गई है। पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ को समक्ष रखते हुए सुनाया है। यह फैसला भविष्य में देश के न्यायालयों के लिए नजीर बन जाएगा। इसमें शरियत को ही आधार बनाया गया है। देखना यह है कि इस पर कोई नया विवाद शुरू होता है या नहीं।

मुंबई उर्दू न्यूज (16 फरवरी) में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि एक ओर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लादने की तैयारी हो रही है, दूसरी ओर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार है। उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान में मुस्लिम पर्सनल लॉ को दी गई आजादी को स्वीकार किया है। हालांकि देश के अधिकांश समाचारपत्रों ने इसे प्रकाशित नहीं किया। लेखक ने कहा है कि इस देश में दो तरह के कानून लागू हैं-एक सिविल कोड और दूसरा क्रिमिनल कोड। सिविल कोड में सभी अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार बनाए गए कानूनों के अनुसार जीवन गुजारने की अनुमति दी गई है। इन केसों से संबंधित अगर कोई मामला सरकारी न्यायालयों में जाता है ता यदि संबंधित व्यक्ति मुसलमान हो तो अदालतें इस्लामिक शरियत के हिसाब से फैसला करेंगी। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को स्वीकार किया गया है। उन्हें उत्तराधिकार, हब्बा, निकाह, तलाक जैसे मामलों में शरा के अनुसार चलने की अनुमति दी गई है। मगर यह बात कुछ संकुचित मानसकिता वाले लोगों को हजम नहीं होती। इसलिए वे काफी समय से मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करने का अभियान चला रहे हैं। वे यह चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक मामलों में जो आजादी दी गई है वह उनसे छीन ली जाए। इस तरह से एक देश एक कानून का असली उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाना है। पहले गोद लिए गए बालक को संपत्ति में अधिकार दिया गया। फिर तलाकशुदा महिला को सारी उम्र गुजारा भत्ता देने का मामला उठाया गया। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन्न फिर बोतल से बाहर निकालकर चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया गया। फिर तीन तलाक के मामले को उछाला गया। हाल ही में मुस्लिम पर्सनल लॉ में सरकार ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया है वह संविधान की मूल भावना के सरासर खिलाफ है। ऐसे हालात में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। हम यहां यह बहस नहीं कर रहे हैं कि छोटी उम्र के विवाह का शारीरिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि छोटी उम्र में विवाह का रिवाज मुसलमानों में बहुत कम है। जिस तरह से उच्च न्यायालय ने बालिग होने का आधार उम्र को न मानकर शरा मोहम्मदी में दी गई व्यवस्था को माना है। इसी तरह से निकाह, तलाक, विरासत, गुजारा भत्ता जैसे मामलों में भी मुसलमानां को शरा के तहत दिए गए अधिकारों को मान लेना चाहिए।

अल्पसंख्यकों के लिए हुनर हाट का आयोजन

सहाफत (22 फरवरी) के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 26वें हुनर हाट का उद्घाटन करते हुए कहा कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ग्रामीण दस्तकारी के कारोबार का लक्ष्य पांच लाख करोड़ निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'वोकल फोर लोकल' का जो नारा दिया था उसे कार्यान्वित करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय इसका ध्वजवाहक बन गया है। उन्होंने कहा कि हुनर हाट ने दस्तकार, शिल्पकार, हुनर के उस्ताद, जो कि गली-कूचों में रहते हैं उनको अवसर और मार्केटिंग उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि ढाई सौ स्टॉलों का देखकर मैं तो हैरान रह गया हूँ। इन स्टॉलों पर जो उत्पाद नजर आए हैं वे कमाल क हैं। मैं तो यह कहता हूं कि हुनर के उस्ताद अपनी किस्मत के भी उस्ताद हैं। देश के विकास में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान है। मुझे यह सूचना दी गई है कि अभी तक पांच लाख लोगों को हुनर हाट से रोजगार मिला है। हुनर हाट शिल्पकारों और दस्तकारों का साझा मंच है और यह हमारी सांस्कृतिक परम्परा को जिंदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी को मैं हार्दिक बधाई पेश करता हूं क्योंकि उनके प्रयास से हुनर हाट सफल हो रहा है।

इस अवसर पर नकवी ने कहा कि यह हाट 20 फरवरी से शुरू हुआ है जो कि 1 मार्च तक चलेगा। इसमें 31 प्रदेशों के 600 से अधिक हुनर के उस्ताद हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 50 प्रतिशत महिलाएं हं। उन्होंन कहा कि हुनर हाट का आयोजन देश भर के विभिन्न हिस्सों में किया जा रहा है। 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष हुनर हाट का आयोजन कर रहे हैं, जिससे साढ़े सात लाख शिल्पकारों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस हुनर हाट में आपको हर प्रदेश के पकवान मिलेंगे। इस अवसर पर सांसद मीनाक्षी लेखी, अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आतिफ रशीद और आयोग के पूर्व अध्यक्ष गयूर हसन रिजवी भी मौजूद थे।

विश्व

इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादियों की गिरफ्तारियां

सहाफत (13 फरवरी) के अनुसार जर्मनी और डेनमार्क में इस्लामिक आतंकवादी गतिविधियों की तैयारी करने वाले 13 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका संबंध आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से बताया जाता है। इनके कब्जे से बम बनाने का विस्फोटक पदार्थ काफी मात्रा में बरामद हुआ है। डेनमार्क में पुलिस ने 13 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जिनमें से सात का संबंध आईएसआईएस से बताया जाता है। इसी केस से संबंधित कई अन्य व्यक्तियों को जर्मनी से गिरफ्तार किया गया है। डेनमार्क के एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके देश में इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। डेनमार्क की गुप्तचर एजेंसी के अनुसार देश में अनेक स्थानों पर छापेमारी की गइ और काफी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। इनमें से सात लोगों पर आतंकवादी हमले करने के लिए विस्फोटक पदार्थ और हथियार जमा करने का आरोप है। डेनमार्क की सुरक्षा एजेंसी 'सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस' के अनुसार छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि सभी मुसलमान हैं। जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सीरिया के रहने वाले तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जर्मनी की गुप्तचर एजेंसियों ने न्यूरम्बर्ग एवं बर्लिन में इन संदिग्ध लोगों के निवास स्थानों पर छापा मारा और वहां से 12 किलोग्राम बारूद और बम बनाने का सामान बरामद किया गया।

अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा नए हमले की तैयारी

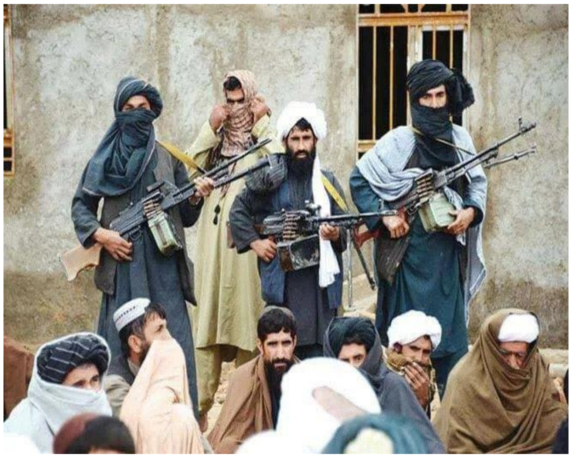

सहाफत (20 फरवरी) के अनुसार अफगानिस्तान में शांति स्थापित होने की संभावना दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। हाल ही में ब्रसेल्स में नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस बात पर जोर दिया था कि इस संधि के देश तालिबान पर अपना दबाव बनाएं। जानकार सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने अफगानिस्तान से विदेशी सैनिक बुलाने का जो कार्यक्रम बनाया था वह फिलहाल खटाई में पड़ गया है। हाल ही में काबुल में नाटो के दस देशों के सुरक्षा अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान सहित 11 देशों की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने भाग लिया था। इसमें अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हुए खतरे के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया था। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी एनडीएस के प्रमुख अहमद जिया सिराज का कहना है कि इस बैठक में तालिबान द्वारा नए हमले की शुरूआत करने के विषय में विचार किया गया है।

दूसरी ओर **इत्तेमाद** (15 फरवरी) क अनुसार अफगान तालिबान ने नाटो के देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों को बुलाने में देरी की तो उसके खतरनाक परिणाम अफगानिस्तान और उसके सहयोगियों को भुगतने पड़ेंगे। ऐसा करने से यह साफ संकेत मिलता है कि नाटो गठजोड़ अफगानिस्तान में अमन क लिए इच्छुक नहीं बल्कि वह युद्ध को जारी रखना चाहता है। इसलिए हमने अपने हमलों में तेजी लाई है। अमेरिका के नए प्रशासन ने अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों को वापस बुलाने का कार्यक्रम अभी खटाई में डाल दिया है। हालांकि इससे पूर्व यह तय हुआ था कि अफगानिस्तान से सभी विदेशी सैनिक 2021 तक वापस बुला लिए जायेंगे।

हमारा समाज (18 फरवरी) के अनुसार नाटो देशों के निर्णय को नजरअंदाज करते हुए न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान से इस वर्ष के मई महीने तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने घोषणा की है कि उनकी सरकार अफगानिस्तान में गत दो दशक से ड्यूटी देने वाले अपने सैनिकों को वापस बुला रही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जैसे संकटग्रस्त देश में केवल वार्ता से ही शांति संभव है। इसलिए हम अफगानिस्तान में अपनी सेना को तैनात रखने की जरूरत नहीं समझते। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हमारे साढ़े तीन हजार सैनिक थे, जिन्हें हमने धीरे-धीरे वापस बुला लिया है। अभी हमारे सिर्फ छह सैनिक वहां हैं जिन्हें हम वापस बुला रहे हैं।

फ्रांस में इस्लामिक संस्थानों पर प्रतिबंध

इंकलाब (18 फरवरी) के अनुसार फ्रांस में अतिवादी इस्लामिक गतिविधियों को रोकने के लिए वहां की सरकार न एक नया कानून पारित कर दिया है, जिसके तहत मुस्लिम संस्थानों और उनसे संबंधित स्थानों पर सरकार द्वारा सख्त पाबंदी और निगरानी रखी जाएगी। फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली द्वारा पारित किए गए इस बिल का लक्ष्य यह बताया गया है कि फ्रांस में जो आतंकवादी रूझान बढ़ रहा है उसको देखते हुए यह जरूरी है कि वहां पर स्थित विभिन्न धार्मिक संगठनों, इस्लामिक मदरसों और इस्लामिक प्रचार करने वाले संगठनों पर कड़ी नजर रखी जाए और उसको रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। हालांकि कानून में इस्लाम का उल्लेख नहीं है पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि यह कदम इस्लामिक आतंकवाद और पृथक्कतावाद के बढ़ते हुए रूझान को रोकने के लिए बनाया गया है। इस कानून के पारित हो जाने के बाद अब सरकार मस्जिदों, उनकी आय, इस्लामिक मदरसों और इस्लाम का प्रचार व प्रसार करने वाले संगठनों पर कड़ी नजर रखेगा। ताकि भविष्य में इस्लामिक आतंकवाद फ्रांस के लिए गंभीर खतरा न बन सके। इस विधेयक के पक्ष में फ्रांस की राष्ट्रीय एसेंबली में 347 सदस्यों और विरोध में 151 सदस्यों ने वोट डाले। जबकि 65 सदस्य सदन से अनुपस्थित रहे। फ्रांसीसी मुसलमानों के प्रतिनिधि संगठनों ने इस कानून का विरोध किया है। जबकि नागरिक अधिकारों से संबंधित 36 गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार संगठन में इस कानून के खिलाफ अपील की है। संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की गई है कि फ्रांस में गत दो दशक से सरकार द्वारा जो मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई जा रही है उसको रोका जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि वर्तमान कानून फ्रांस की सेक्युलरिज्म की नीति के खिलाफ है और इसका लक्ष्य मुसलमानों की धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना है। दूसरी ओर इस कानून का समर्थन करते

हुए दक्षिण पंथी नेता मरीन ले पेन ने कहा है कि चंद इस्लामी आतंकवादियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बहुमत के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। गैर मुसलमानों की सुरक्षा के लिए इस तरह का कानून पारित करना बेहद जरूरी है।

ज्ञातव्य है कि फ्रांस में 50 लाख से अधिक मुस्लिम प्रवासी हैं, जिनमें से अधिकांश का संबंध फ्रांस की पुरानी कॉलोनियों से है। गत वर्ष एक मुस्लिम नौजवान ने जिस तरह से पैगम्बर के चित्रों को दिखाने पर एक अध्यापक को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया था इसके बाद फ्रांस में इस मांग ने जोर पकड़ा था कि देश में बढ़ते हुए इस्लामिक आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाया जाए।

नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से इनकार

रोजनामा सहारा (18 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। मगर वे विदेश से पाकिस्तान वापस आना चाहें तो उन्हें विशेष प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। इस्लामाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 से नवाज शरीफ और मरीयम नवाज का नाम ईसीएल की सूची में है, जिनके नाम इस सूची में हों उन्हें न तो पासपोर्ट जारी किया जा सकता है और न हीं उनके पासपोर्ट का नवीनीकरण किया जा सकता है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी आजकल लंदन में हैं।

हमारा समाज ने 17 फरवरी के अंक में एक विशेष रिपोर्ट जारी की है, जिसमें नवाज शरीफ के पासपोर्ट के नवीनीकरण न किए जाने से उनके सामने आने वाली कठिनाईयों पर प्रकाश डाला गया है। समाचारपत्र ने लिखा है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान की विभिन्न अदालतें फरार घोषित कर चुकी हैं इसलिए उनके पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान सरकार अभी तक उन्हें स्वदेश लाने में विफल रही है। नवाज शरीफ जब ब्रिटेन गए थे तो उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था जो कि उन्हें उस वक्त जारी किया गया था जब वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेष जानकार अली जफर का कहना है कि अगर पाकिस्तान सरकार मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं करती तो भी उनकी पाकिस्तान की नागरिकता समाप्त नहीं होगी और न ही उनके पहचान पत्र को ही ब्लॉक किया जा सकता है। अगर वे स्वयं वापस आना चाहें तो पाकिस्तान हाईकमीशन उन्हें एक अस्थाई यात्रा परमिट जारी कर सकता है, जिससे वे सिर्फ पाकिस्तान ही आ सकते हैं। कानून के एक अन्य विशेषज्ञ का कहना है कि अगर पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं करता तो ब्रिटेन उनको अपने देश से निष्कासित नहीं कर सकता। ब्रिटिश कानून के अनुसार यदि किसी के पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं होता तो इसका स्टेटस तो

बरकरार रहता है और उसे ब्रिटेन से निष्कासित नहीं किया जा सकता। हां यह जरूर है कि पासपोर्ट न होने के कारण पूर्व प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश की यात्रा नहीं कर सकेंगे। इस समय भी ब्रिटेन में अनिर्दिष्ट अप्रवासी की संख्या दस लाख के लगभग है। पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच आरोपियों के तबादले का कोई समझौता नहीं है। इसलिए पाकिस्तान सरकार उन्हें वहां से वापस नहीं ला सकती। कुछ समय पूर्व पाकिस्तान सरकार ने इंटरपोल से अनुरोध किया था कि वह पूर्व प्रधामनंत्री को वापस स्वदेश भेजने के लिए कार्रवाई करे। मगर इंटरपोल के एक उच्चाधिकारी ने कहा कि मुकदमें राजनीतिक कारणों से दायर किए गए हैं इसलिए हम इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसी तरह से पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार भी इंगलैंड में रह रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर रखा है। डार को भी पाकिस्तान की न्यायालय इश्तियारी मुजरिम घोषित कर चुकी है और उनकी संपत्ति जब्त करने की घोषणा भी हो चुकी है।

अमेरिकी ब्लॉगर की हत्या के आरोप में पांच लोगों को फांसी

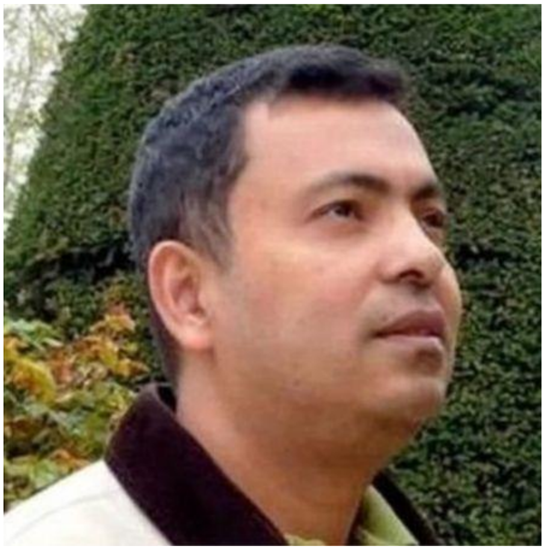

इंकलाब (17 फरवरी) के अनुसार बांग्लादेश के एक न्यायालय ने छह वर्ष पूर्व इस्लाम की आलोचना करने वाले एक अमेरिकी ब्लॉगर की हत्या के आराप में इस्लामिक स्टेट नामक आतंकवादी संगठन से संबंधित पांच व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई है। संवाद एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीत रॉय की उस समय हत्या की गई थी जब वे अपनी पत्नी के साथ ढाका पुस्तक मेले से वापस आ रहे थे। बांग्लादेश की स्पेशल एंटी टेररिज्म ट्रिब्यूनल में इन हत्यारों के खिलाफ गत छह वर्ष से मुकदमा चल रहा है। इसके बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। सरकारी वकील गुलाम सरवर खान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गया था। इसलिए पांच व्यक्तियों को फांसी और एक अन्य व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जिन व्यक्तियों को सजा दी गई है उनका संबंध इस्लामिक आतंकवादी संगठन तंजीम अंसार उल्लाह से बताया जाता है। इन पर अनेक अल्पसंख्यकों की हत्या करने का आरोप है। सरकारी वकील ने कहा कि इनका नेता सेना से बर्खास्त सैयद जियाउल हक था। हत्यारों में से एक फरार हो गया था और उसे उसकी गैरहाजिरी में फांसी की सजा सुनाई गई है। बताया जाता ह कि 2013 से लेकर 2016 के बीच दर्जनों ब्लॉगरों और अल्पसंख्यकों की इन अतिवादी मुस्लिम संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा हत्याएं की गई थीं। इन अतिवादियों का संबंध इस्लामिक स्टेट या अलकायदा से संबंधित संगठनों से था।

अरब शहजादी की हिरासत पर संयुक्त राष्ट्र संघ चिंतित

दुबई की शहजादी लतीफा और उसकी बहन की अवैध हिरासत पर संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार संगठन ने चिंता प्रकट करते हुए संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों से इस संबंध में पूछताछ करने का फैसला किया है। 35 वर्षीय शहजादी लतोफा ने यह आरोप लगाया है कि उसके पिता और दुबई के शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने उसे अवैध रूप से कैद कर रखा है और उसका जीवन खतरे में है। इस संदर्भ में हाल ही में बीबीसी ने एक वीडियो भी प्रसारित किया है, जिसके कारण विश्व भर में यह मामला गरमा-गरम चर्चा का विषय बन गया है। दुबई सरकार ने एक चित्र प्रसारित किया है, जिसमें लतीफा को अपने कुछ परिवारजनों के साथ खड़ा दिखाया गया है। सरकार ने यह भी दावा किया है कि लतीफा अपने परिवारजनों के साथ रह रही है और पूरी तरह से सुरक्षित है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन की प्रमुख मैरी रॉबिंसन का कहना है कि यह फोटो और सरकारी दावा फ्रॉड है।

हमारा समाज (18 फरवरी) ने इस संदर्भ में एक विस्तृत समाचार प्रकाशित किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी लतीफा के मामले पर चिंता प्रकट की है और इस बात पर जोर दिया है कि उसे अवैध हिरासत से मुक्त किया जाए। ब्रिटेन सरकार ने भी इस मामले को घोर चिंताजनक बताया है। समाचारपत्र के अनुसार दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन रासिद अल मकतूम की गणना विश्व के सबसे अमीर लोगों में होती है। बताया जाता है कि 2018 में इस शहजादी ने तंग आकर अमेरिका में राजनीतिक शरण लेने का प्रयास किया

था और वह अपने देश से भाग गई थी। मगर भारतीय जल सीमा के भीतर उसे कुछ कमांडो ने गिरफ्तार करके उसके देश के सैनिकों को सौंप दिया। न्यूज 18 वर्ल्ड के अनुसार शहजादी ने यह आरोप लगाया है कि उसे हिरासत में लेने वाले भारतीय नौसेना क कमांडो थे। मगर भारत सरकार ने इस संदर्भ में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

बीबीसी पनोरमा ने एक वीडियो इस शहजादी का प्रसारित किया है, जिसमें कहा गया है कि जब वह दुबई से फरार होकर जलयान से अमेरिका में शरण लेने के लिए जा रही थी तो उसके जलयान पर कुछ अज्ञात कमांडो ने हमला कर दिया। वह अपनी एक सहेली के साथ बाथरूम में छिप गई। मगर कमांडो ने धुएं के बमों का इस्तेमाल करके उसे बाथरूम से बाहर निकलने पर विवश कर दिया। जब इन कमांडो ने उसे हिरासत में लेने का प्रयास किया तो उसने इसका जबर्दस्त विरोध किया। उन्हें लातें मारी और कई स्थानों पर काटा। इस पर लतीफा को नशीले टीके लगाकर बेहोश कर दिया गया और उसे एक जहाज में दुबई पहुंचा दिया गया जहां पर उसे एक विला में कैद कर दिया गया। इस विला के चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा है और उसके दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। इस शहजादी ने अपनी नजरबंदी की कहानी को बाथरूम में गुप्त रूप से रिकार्ड करने के बाद उसे अपनी एक विदेशी सहेली को भेजा। शहजादी ने यह भी कहा है कि उसके पिता ने उसकी बड़ी बहन शम्सा को भी कैद कर रखा है और उसे बाहरी दुनिया से संपर्क करने की अनुमति नहीं है।

दूसरी ओर, दुबई के राजपरिवार के प्रवक्ता ने कहा है कि शहजादी लतीफा अपने परिवार के पास सुरक्षित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार संगठन की वरिष्ठ अधिकारी मेरी रॉबिंसन ने 2018 में लतीफा से मुलाकात की थी और उसे मुसीबत में पड़ी युवती करार दिया था। उन्होंने कहा है कि शहजादी के परिवारजनों ने उसके साथ बड़ा धोखा किया था और उसे लतीफा के बारे में सरासर गलत जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मामले दिन-प्रतिदिन जटिल होते जा रहे हैं उसको देखते हुए यह जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस अरब शहजादी की अवैध हिरासत के बारे में उच्चस्तरीय जांच करवाए और उसे कैद से मुक्त करवाए। दुबई के शासक को घुड़सवारी का बेहद शौक है मगर वहां की सामाजिक और शासकीय व्यवस्था इस तरह है कि महिलाओं को किसी तरह का कोई बुनियादी अधिकार प्राप्त नहीं है। न ही वह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकती हैं।

दुबई के शासक गत कई वर्षों से चर्चा का केन्द्र बने हुए हैं। 2019 में उनकी एक वैध पत्नी हया बिंत अल हुसन किसी तरह से भागकर लंदन चली गई थी और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक शरण मांगी थी। इंगलैंड हाईकोर्ट ने गत वर्ष प्रिंसेस हया को ब्रिटेन में शरण प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि दुबई के शासक ने अवैध रूप से अपनी पत्नी का इंगलैंड से अपहरण करने का प्रयास किया था। इससे पूर्व लतीफा की बड़ी बहन शम्सा भी जब ब्रिटेन आई हुई थी तो वह वापस लौटना नहीं चाहती थी। सन् 2000 में शेख के निर्देश पर उसे जबरन स्वदेश ले जाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार शाखा की प्रमुख रॉबिंसन का कहना है कि हम तब तक अपना प्रयास जारी

रखेंगे जब तक लतीफा और उसकी बहन का गैर कान्नो हिरासत से मुक्ति नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है और उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। दुबई के शासक अल मकतूम ने अपने एक ट्विट में कहा है कि उनका हया से कोई संबंध नहीं है। मगर वे अपने दोनों बच्चों को वापस लेने के लिए प्रयास जारी रखेंगे। राजकुमारी हया जॉर्डन के पूर्व शासक हुसैन की पुत्री हैं। उनका विवाह 2004 में दुबई के शासक अल मकतूम के साथ हुआ था। दुबई के शासक की अनेक बीबियां हैं और उनके बच्चों की संख्या दो दर्जन से अधिक बताई जाती है। जॉर्डन का वर्तमान शासक अब्दुल्ला द्वितीय हया का भाई है। उसकी मां एक ब्रिटिश नागरिक थी।

जहां तक शहजादी लतीफा का संबंध है उसका जन्म 1985 में हुआ था। दकियानूसी जीवन से तंग आकर उसने 2002 में भी जब वह 18 वर्ष की थी तो उसने अपन महल से फरार होने की कोशिश की थी। मगर उसके पिता के आदेश पर उसका पता लगाकर उसे महल में कैद कर दिया गया था। लतीफा पुनः फरवरी 2018 में अपनी मार्शल आर्ट की एक प्रशिक्षक के सहयोग से दुबई से फरार हो गई थी और वह ओमान पहुंच गई थी। उसे हिंद महासागर में एक अमेरिकी जहाज में शरण लेनी थी ताकि वह अमेरिका पहुंचकर वहां पर राजनीतिक शरण प्राप्त कर सके। मगर रास्ते में ही गोवा के समीप उसके पिता के आग्रह पर भारतीय नौसेना के कमांडो ने उस पकड़कर दुबई के सैनिकों के हवाले कर दिया और वे उसे वापस दुबई ले गए।

गत कुछ वर्षों से अरब शहजादियां पश्चिमी मीडिया में विवाद का केन्द्र बनी हुई हैं। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की बहन पर पेरिस में अपने कर्मचारियों क साथ मारपीट करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था मगर बाद में उच्चस्तरीय दबाव पर यह मुकदमा वापस ले लिया गया। ज्ञातव्य है कि हालांकि अरब जगत में समृद्धि की भरमार है मगर महिलाओं पर सख्त पाबंदियां हैं। वे बिना पर्दा किए और बिना किसी पुरुष के बाजार में नहीं जा सकतीं। न ही उन्हें बाहरी जगत से कोई संबंध रखने का अधिकार है। उनका जीवन महलों की चारदोवारियों तक ही सीमित है या उन्हें कड़े पर्दे में रहना पड़ता है। वह किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रख सकती। इस्लाम की संकीर्ण जीवन शैली से तंग आकर अब अरब शहजादियां खुलेआम विद्रोह के रास्ते पर अग्रसर हो रही हैं।

जहां तक संयुक्त अरब अमीरात का संबंध है यह अरब देशों का एक महासंघ है जिसमें दुबई, अबूधाबी, शारजाह, अजमन, उम्म अल क्वावेन, फुजैरा और रस अल खमा नामक राज्य शामिल हैं। इस महासंघ का शासन एक सुप्रीम काउंसिल चलाती है, जिसमें इन सातों अरब राज्यों के शासक शामिल हैं। इस काउंसिल का अध्यक्ष इन सात शासकों में से बारी-बारी चुना जाता है। इसके अतिरिक्त एक फेडरल नेशनल काउंसिल भी है, जिसके 40 सदस्य हैं।

सऊदी सेना में महिलाओं को भर्ती होने की अनुमति

इंकलाब (22 फरवरी) के अनुसार अरब देशों के इतिहास में पहली बार सबसे कट्टर इस्लामिक देश सऊदी अरब ने भी महिलाओं को सेना में भर्ती होने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसक अनुसार अब पुरुष और महिलाएं दोनों सशस्त्र सेना में भर्ती हो सकेंगे। सभी इच्छुक व्यक्तियों को एक पोर्टल के द्वारा अपने नाम दर्ज करवाने होंगे। रॉयल सऊदी एयर डिफेंस, रॉयल सऊदी नेवी, रॉयल सऊदी स्ट्रैटिजिक मिसाइल फोर्स और आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेस में महिलाओं को सिपाही से लेकर सार्जेंट के पद पर भर्ती किया जाएगा। सशस्त्र सेना में भर्ती होने वाले सभी उम्मीदवारों को निर्धारित शर्तों के अनुसार चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। जो महिलाएं सेना में भर्ती होने के इच्छुक हों उनकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें हाई स्कूल पास होना चाहिए। मगर जिन महिलाओं ने गैर

सऊदी नागरिकों से निकाह किए हैं वह सेना में भर्ती नहीं हो सकेंगी। सऊदी सरकार के इस निर्णय का कुछ कट्टर मौलानाओं ने विरोध किया है और उसे इस्लाम और शरीयत के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि शरा के अनुसार महिलाओं को कड़े पर्दे में रहना चाहिए और उनका कोई अंग नजर नहीं आना चाहिए। मगर सेना में भर्ती होने के कारण शरीयत के इस निर्देश का उल्लंघन होगा क्योंकि उन्हें पुरुषों जसी वर्दी पहननी होगी।

कुवैत में विदेशी यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी

इंकलाब (22 फरवरी) के अनुसार कुवैत सरकार ने देश में विदेशी यात्रियों के प्रवेश पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ है अब उसकी अवधि में विस्तार कर दिया गया है। अरब न्यूज के अनुसार यह पाबंदी सभी गैर कुवैती नागरिकों पर लागू होगी। डॉक्टर और राजनयिकों को इससे छूट प्राप्त होगी। ज्ञातव्य है कि अरब जगत के 5 देशों ने कोरोना की महामारी की नई लहर आने के कारण अपने-अपने देशों में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस घोषणा के अनुसार अगर कोई कुवैती नागरिक देश में दाखिल होता है तो उसे

चौदह दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा। इसमें से एक सप्ताह होटल और एक सप्ताह घर पर रहना अनिवार्य है। इसका पूरा खर्च उन्हें अपनी ओर से ही वहन करना होगा।

ईरान में अलकायदा के नेताओं को पनाह

हमारा समाज (19 फरवरी) के अनुसार ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को विस्तार देने के लिए आतंकवादी संगठन अलकायदा से संबंधों को और भी सुदृढ बनाने का फैसला किया है। अमेरिकी पत्रकार द्वारा विदेश मामलों में ईरान और अलकायदा के बढ़ते हुए संबंधों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। ज्ञातव्य है कि गत महीने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने एक पत्रकार सम्मेलन में यह आरोप लगाया था कि ईरान अलकायदा का नया अड्डा बन चुका है और अभी ईरान और अलकायदा के संबंध गत 30 वर्षों में सबसे अधिक मजबूत हैं। ईरान ने 2015 में अलकायदा को अपनी ऑपरेशनल गतिविधियों के लिए ईरान का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। इसके बाद से यह आतंकवादी संगठन ईरान में काफी सक्रिय है और उसे सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। अलकायदा और ईरान में एक समझौता हुआ है, जिसके बाद अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन को ईरान में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने का अवसर मिला है। 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए हमले के जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अलकायदा और ईरान के बीच संबंधों की शुरुआत 1990 से हुई थी। तब अलकायदा के कई प्रमुख कमांडर सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ईरान गए थे और उन्होंने वहां के सैनिक अड्डों में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। इसमें यह भी दावा किया गया है कि ईरान द्वारा समर्थित शिया संगठन हिजबुल्लाह ने भी लेबनॉन में अपने कई शिविरों में अलकायदा के आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि अलकायदा सुन्नी संगठन है। मगर इस्लाम की रक्षा के लिए उसे शिया ईरान ने पूरा समर्थन दिया है। क्योंकि ये दोनों इस्लाम का प्रसार और संरक्षण चाहते हैं। इसी कारण अलकायदा और ईरान के बीच संबंध रहे। लेखक के अनुसार अलकायदा और ईरान के बीच सहयोग सिर्फ तकनीकी सहयोग तक ही सीमित नहीं है बल्कि ईरान सरकार ने तेहरान में अलकायदा का

एक मुख्य केन्द्र भी स्थापित करने की अनुमति दी हुई है। 2007 में अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन ने कहा था कि ईरान हमारे लड़ाकुओं को आर्थिक सहयोग देने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मगर इसके साथ ही उसने यह भी स्वीकार किया था कि ईरान ने अपने देश में सक्रिय अलकायदा के आतंकवादियों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए थे। 9/11 की घटना के बाद अलकायदा के कई नेताओं ने ईरान में शरण ली थी। बाद में विश्व के दबाव के कारण उनमें से कुछ को गिरफ्तार करने या उनको उनके घरों में नजरबंद करने की नौटंकी भी की गई। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के ठिकाने से जो दस्तावेज मिले थे, उसके अनुसार अलकायदा ने ईरान सरकार से इन पाबंदियों के खिलाफ जबर्दस्त विरोध प्रकट किया था।

कौमी तंजीम (13 फरवरी) ने दावा किया है कि हालांकि ईरान और अलकायदा दोनों ने अपने गुप्त संबंधों का खंडन किया है मगर मिस्र के गुप्तचर सूत्रों का कहना है कि ईरान व अलकायदा के प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी के बीच संबंधों का सिलसिला जारी है। इन संबंधों को सुदृढ़ बनाने में मिस्र में प्रतिबंधित अतिवादी इस्लामिक संगठन इख्वानुल मुस्लिमीन की प्रमुख भूमिका है। अल अरेबिया डॉट नेट के अनुसार अलकायदा और ईरान में संपर्क की शुरुआत 1980 के दशक में सुन्नी आतंकवादी संगठन इख्वानुल मुस्लिमीन के माध्यम से हुई थी। इख्वानुल मुस्लिमीन ने 1986 में अफगानिस्तान में अलकायदा के तत्कालीन प्रमुख ओसामा बिन लादेन से कई बार मुलाकात की थी। इसमें ओसामा बिन लादेन, इख्वानुल मुस्लिमीन के नेता मोहम्मद हामिद अबु नासिर और उसके सहायक मुस्तफी मौजूद थे। इख्वान के इन नेताओं ने अफगान मुजाहिदीन के सैनिक शिविरों का दौरा किया था और इसी दौरे के बाद अलकायदा की नींव रखी गई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि ये संगठन विश्व भर के मुसलमानों के हितों की रक्षा करेगा और जहां जरूरत होगी वहां सशस्त्र हस्तक्षेप भी करेगा। बताया जाता है कि अल-जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन में इस बात पर मतभेद थे कि मिस्र और अन्य इस्लामिक देशों को अलकायदा की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाए। ओसामा ने अलकायदा को सोमालिया, बोस्निया और चेचन्या में मजबूत किया। जबकि अल-जवाहिरी ने इस संगठन को मिस्र, सूडान और यमन में हिंसक गतिविधियों को शुरू करने का निर्देश दिया। मिस्र के एक इस्लामिक संगठन जमात अल-जिहाद के आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में स्थित अलकायदा के गुप्त शिविरों में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद मिस्र वापस आकर उन्होंने मिस्र के तत्कालीन प्रधानमंत्री आतिफ सिद्दीकी और गृहमंत्री हसन अल-अलफी पर घातक हमले किए और कई जगह विदेशी पर्यटकों को भी अपना निशाना बनाया। ईरान ने अलकायदा के साथ अफगानिस्तान के एक नागरिक आसिफ मोहसिनी के माध्यम से संपर्क जोड़ा था और उसे ईरान ने इस कार्य के लिए मोटी धनराशि भी दी थी। ईरान में शोवकी अल-इस्लामबुली और अल-जवाहिरी के बीच गहरे रिश्ते थे। शावकी पूर्व मिस्री अध्यक्ष अनवर सदात के हत्यारे खालिद अल-इस्लामबुली का भाई था। अफगानिस्तान में इख्वानुल मुस्लिमीन ने पहले से अपने कदम जमाए हुए थे और उन्होंने एक आतंकवादी संगठन जमीयत इस्लामिया बना रखा था। जिसके नेता अब्दुल रहीम नियाजी थे। बाद में

अफगानिस्तान में अलकायदा के नेता बुरहानुद्दीन रूहानी और गुल बदन हिकमतयार भी शामिल हो गए। इसके कारण अफगानिस्तान में शिया आतंकवादियों को प्रोत्साहन मिला। बताया जाता है कि अल जवाहिरी ने मिस्र सरकार का मुकाबला करने के लिए ईरान से दस करोड़ डॉलर भी प्राप्त किए थे।

परमाणु शक्ति बनने की ओर अग्रसर ईरान

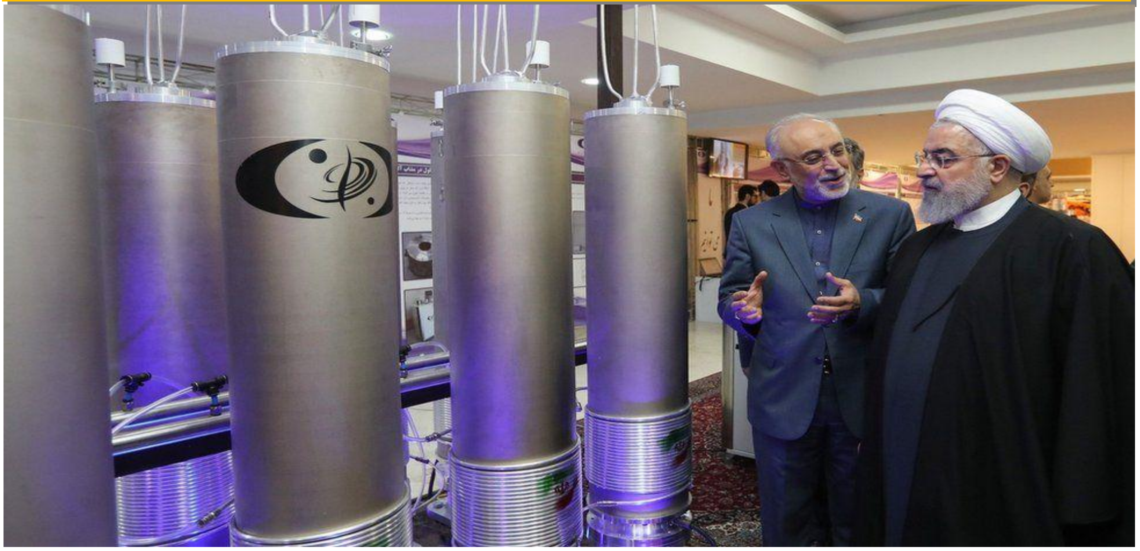

सहाफत (12 फरवरी) के अनुसार विश्व की परमाणु संस्था आईएईए ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्द्धन के लक्ष्य को पूरा कर लिया है और इस्फहान में गुप्त परमाणु अड्डों में परमाणु अस्त्र-शस्त्रां की तैयारी का काम पूरी गति से चल रहा है। इस संदर्भ में तेहरान के एटमी रिएक्टर में परमाणु ईंधन को निर्धारित नीति के अनुसार तैयार किया जा रहा है। विश्व परमाणु संगठन के अनुसार इस्फहान के गुप्त अड्डों में यूरेनियम मेटल प्लेट तैयार की जा चुकी है। विएना के हेडक्वार्टर में तैनात ईरान के स्थाई प्रतिनिधि काजिम गरीबाबादी ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान ने परमाणु ईंधन तैयार करना शुरू कर दिया है। ईरान की परमाणु नीति तीन चरणों में होगी। पहले चरण में यूरेनियम से यूरेनियम मेटल तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में विश्व परमाणु एजेंसी को सूचित कर दिया ह और शीघ्र ही हम एटमी ईंधन तैयार करने वाले विश्व के प्रमुख देशों में शामिल हो जाएंगे।

इंकलाब (13 फरवरी) के अनुसार विश्व के देशों द्वारा ईरान पर परमाणु शक्ति के विकास पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसका उल्लंघन करने पर रूस और फ्रांस ने ईरान को चेतावनी दी है और कहा है कि इससे विश्व में और ज्यादा तनाव बढ़ेगा। फ्रांस के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम ईरान से मांग करते हैं कि वह अपने परमाणु शक्ति के विकास की दिशा में कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे स्थिति और खराब हो। क्योंकि ईरान द्वारा पहले ही विएना संधि का उल्लंघन करने के कारण हालात काफी खराब हो चुके हैं। रूस ने कहा है कि ईरान को इस संदर्भ में सावधानी से काम लेना चाहिए ताकि स्थिति में और जटिलता पैदा न हो।

सऊदी सरकार विरोधी इस्लामिक विद्वानों की गिरफ्तारियां

इंकलाब (17 फरवरी) के अनुसार सऊदी सरकार ने विश्व विख्यात इस्लामिक विद्वान आयशा अल महाजिरी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ अपने घर में कुरान की शिक्षा देने और उसका प्रचार करने का आरोप है। सऊदी गुप्तचर विभाग के अनुसार इस 65 वर्षीय महिला विद्वान को दो अन्य महिलाओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों की आयु 80-80 वर्ष है और उनकी गणना सऊदी अरब के बड़े इस्लामिक विद्वानों में होती है। सऊदी सरकार ने यह घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति इन महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में सवाल करेगा या उनके उपर लगाए गए आरोपों के बारे में पूछेगा उन्हें भी जेल में बंद कर दिया जाएगा। इन महिलाओं को जद्दा के समीप स्थित एक जेल में रखा गया है।

ज्ञातव्य है कि गत कुछ वर्षों से युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने जो उदारवादी नीति अपनाई है उसका मुसलमान विद्वानों का एक वर्ग विरोध कर रहा है। विरोध करने वाले सैकड़ों इस्लामिक विद्वानों को जेलों में ठूंसा जा चुका है। इनमें प्रमुख रूप से ऐद अल-कुरानी अली अल-ओमारी, सफर अल-हवाली, उमर अल-मुकबिल और सलमान अल-औदा जैसे बड़े विद्वान शामिल हैं।

महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमामों को वेतन

हमारा समाज (22 फरवरी) के अनुसार कुल हिंद इमाम ऑर्गेनाइजेशन गत कई वर्षों से देश भर में इमामों और मस्जिदों के अन्य कर्मचारियों को वेतन दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय देश के सात राज्य ऐसे हैं जहां इमामों और मस्जिदों के अन्य कर्मचारियों को सरकारी खजानों से हर महीने वेतन का भुगतान किया जाता है। इन राज्यों में दिल्ली, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। हाल ही में इमामों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधायक अबु आसिम आजमी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने पवार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की प्रतिलिपि भेंट की, जिसमें इस बात की सिफारिश की गई है कि मस्जिद के इमामों और अन्य कर्मचारियों को सरकार मासिक वेतन का भुगतान करे। अजीत पवार ने इस प्रतिनिधिमंडल को बताया कि यदि अन्य राज्य सरकारें इमामों को वेतन का भुगतान कर रही हैं तो महाराष्ट्र भी इससे पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे राज्य के वित्त सचिव और अल्पसंख्यक मामलों के सचिव से सलाह मशविरा करके शीघ्र ही यह तय करेंगे कि इमामों और मस्जिदों के अन्य कर्मचारियों को सरकारी खजानों से कितना वेतन दिए जाए।

मस्जिद के पदाधिकारियों पर गबन का मुकदमा

रोजनामा सहारा (12 फरवरी) के अनुसार बलरामपुर जिले में स्थित मस्जिद फजल रहमानिया में 45 लाख के गबन का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में मदरसा के पूर्व प्रबंधक शब्बीर हुसैन और छह अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा मदरसा के वर्तमान प्रबंधक माहम्मद अहमद अल कादरी की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है। आरोप यह है कि पूर्व प्रबंधक ने अपने कार्यकाल में मदरसे को सरकार से मिलने वाली सहायता राशि में 45 लाख रुपये का गबन किया है। शिकायत के अनुसार 2018-19 और 2019-20 के दौरान चंदे और अनुदान के रूप में मदरस को 48 लाख रुपये मिले थे। इस धनराशि को मदरसे के खाते में जमा कराने की बजाय प्रबंधक ने गबन कर ली और यह दावा किया कि इसे मदरसा से संबंधित विभिन्न कामों पर खर्च किया गया है। मगर बार-बार मांगने के बावजूद प्रबंधक ने इन खर्चों का न तो कोइ विवरण ही पेश किया और न ही इस संबंध में कोई रशीद ही दिखाई। बलरामपुर के पुलिस कप्तान के आदेश पर जब इस आरोप की जांच की गई तो इसमें वजन पाया गया, जिसके बाद इस संदर्भ में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि इस मदरसे के दो गुटों में काफी देर से विवाद चल रहा है। इससे पूर्व मदरसे के पूर्व प्रबंधक शब्बीर हुसैन ने भी 4 सितंबर, 2020 को अयोध्या की कोतवाली में यह शिकायत दर्ज कराई थी कि मदरसे की प्रबंधक समिति के प्रमुख मोहम्मद अहमद कादरी जो कि मदरसा फजल रहमानिया की प्रबंधक कमेटी के साथ-साथ मदरसा जामिया, आयशा सिद्दीका महिला कॉलेज में भी हेडमास्टर के तौर

पर तैनात हैं। इसलिए सरकारी कानून के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रबंध समिति में शामिल नहीं हा सकता। शब्बीर हुसैन ने यह भी आरोप लगाया है कि मोहम्मद अल कादरी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मदरसे पर जबरन कब्जा कर लिया और 30 मई 2020 को एक प्रबंध समिति की फर्जी बैठक करके शब्बीर हुसैन को प्रबंधक के पद से हटा दिया। जिलाधिकारी ने कहा है कि इस संबंध में जांच की जा रही है।

ख्वाजा अजमेरी का उर्स समाप्त

इंकलाब (23 फरवरी) के अनुसार विश्व विख्यात सूफी ख्वाजा सैयद मोईनुद्दीन चिश्ती का 809वां उर्स एक सप्ताह के समारोह के बाद समाप्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कांग्रेस की सोनिया गांधी, अनेक केन्द्रीय मंत्रियों आर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मजार पर चढ़ाने के लिए चादरें भेजी थीं। प्रधानमंत्री की ओर से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मजार पर चादर चढ़ाई। नकवी ने कहा कि सहिष्णुता और सद्भाव भारत का डीएनए है और हमारे देश की इस गौरवशाली विरासत को कोइ भी बदनाम व ध्वस्त नहीं कर सकता। अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि "यह उत्सव सामाजिक एकता और भाईचारे का सुंदर उदाहरण है। विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों और उनसे जुड़ी हुई मान्यताओं का समरसतापूर्ण सहअस्तित्व हमारे देश की एक शानदार विरासत है। हमारे देश के विभिन्न संतों, पीर और फकीरों ने इस धरोहर को सहेजने और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। शांति और सद्भावना के उनके शाश्वत संदेशों ने हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को हमेशा समृद्ध किया है।" प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आगे कहा है कि "ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती जिन्होंने अपने सूफी विचारों के जरिए समाज में अमिट छाप छोड़ी है, हमारी महान आध्यात्मिक परम्पराओं के आदर्श प्रतीक हैं। प्रेम, एकता, सेवा और सद्भावना की भावना को प्रोत्साहित करने वाले गरीब नवाज के मूल्य और विचार हमेशा मानवता को प्रेरित करते रहेंगे।" मुख्तार अब्बास नकवी ने इस अवसर पर दरगाह परिसर में स्थित गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधो की ओर से कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नदीम जावेद ने चादर पेश की।

वसीम रिजवी पर शिकंजा

इंकलाब (16 फरवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर सरकारी एजेंसियों का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। उनके खिलाफ सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है। अब प्रवर्तन निदेशालय भी उनपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रही है। उन पर शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में भारी घोटाले का आरोप है। वसीम रिजवी के खिलाफ एक मुकदमा पहले ही लखनऊ में और एक प्रयागराज में दर्ज है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उन पर गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए थे। मगर तत्कालीन मंत्री आजम खान ने उन्हें बचाए रखा। इन दिनों वसीम रिजवी राम मंदिर निर्माण में काफी सक्रिय हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

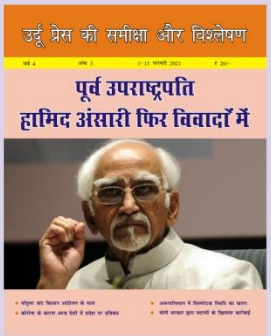

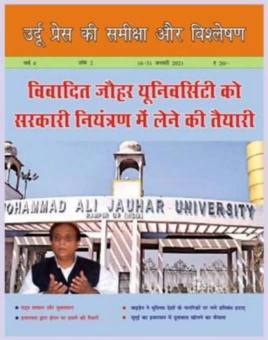

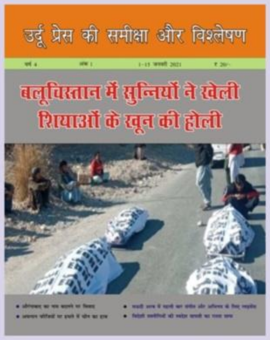

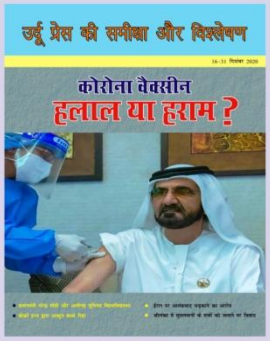

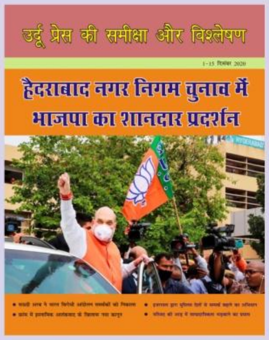

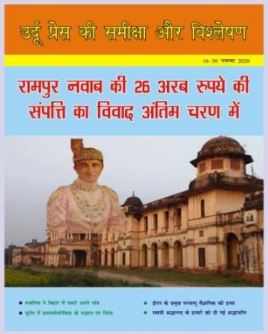

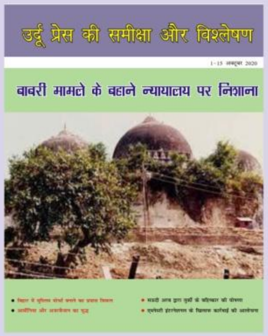

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, वेबसाइट : indiapolicy@gmail.com